कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/शाशि. ग्रेड ााा/सी.भ./वो–ा/2017–18 दिनांक 29.11.19 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (तृतीय वेतन श्रृंखला) के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल 10 में प्रोवेशनल ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिणार्थी) चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (तृतीय वेतन श्रृंखला) के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल 10 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 23700/–(तेइस हजार सात सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है । इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा ।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–ाा /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी अशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान आवदेन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें । यदि मिलान में कोई विसंगति हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे तथा अभ्यर्थियों से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लिया जावे की उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है । उनके त्रुटीपूर्ण , कूटरचित एवं जाली पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा ।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व नियुक्ति आदेश पर चस्पा अभ्यर्थी के फोटो से मिलान करके ही कार्यग्रहण कराया जावे।
5. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेल–कूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेल–कूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे ।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए।महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है।परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का वना हुआ प्रस्तुत करेंतो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही कराया जावें।तथा उसके संबध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडावर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें।
7. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतदविषयक प्रसारित विज्ञप्ति के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में विचाराधीन, रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन होगी।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबधी समस्त दस्तावेजो की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक–प.7(3)कार्मिक/क–2/06पार्ट दिनांक–4.10.13 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबधी बचनबद्वता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

Scanned by CamScanner

10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50 रू. के नॉन ज्यूडीशियर स्टॉप पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जाये।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डी0पी0) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
16. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.17 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र. होगा।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 29.02.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त मानां जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावें एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

संलग्न :– आदेश पृष्ठ सं. 1

14.2.2020
(प्रेम सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर

क्रमांकः–जिशिअ /मु0मा0/भरत/संस्था–1/फा–शा0शि0 नि0/2019–20/556 दिनांक :– 14.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2– श्रीमान संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग, भरतपुर
3– श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर
4– जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा0शि0 भरतपुर
5– समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला भरतपुर
6– संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ जिला भरतपुर
7– संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)/रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर

क्रमांकः–जिशिअ/मु0मा0/भरत/संस्था–1/फा–शा0शि0/सी0म0/2019–20/556 दिनांक :– 14.02.2020

कार्यालय – आदेश

शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड–III की काउन्सलिंग उपरान्त पदस्थापन आदेश सूची

SNO	Merit No.	ROLLNO	NAME	FATHER NAME	DOB	GENDER	CAT	SEL_CAT	Address	पदस्थापन स्थान	अभ्यर्थी का फोटो
1	909	514967	GHANSHYAM SINGH	KALYAN SINGH	07-Apr-86	Male	OBC	GEN	VILL-NAGLA ABHORRA POST - ABHORRA TEH-KUMHER NAGLA ABHORRA PINCODE 321202 DIST.BHARATPUR	राबाउप्रावि अभौर्रा, कुम्हेर	
2	1320	503787	DEVENDRA SINGH	PARASU RAM	05-Jul-89	Male	OBC	GEN	vill-chitokari post-dhanota - chitokari PINCODE 321303 DIST.BHARATPUR	राबाउप्रावि हेलक, कुम्हेर	
3	1475	504651	ARBIND KUMAR	NAGENDAR SINGH	25-Jan-88	Male	OBC	GEN	S/O: Nagendra Singh, 197, javad, vard-2, semal road baink ke pass, , udaipur, Jawad - - JAWAD PINCODE 313703 DIST.UDAIPUR	राउमावि महरावर, कुम्हेर	

Mllw 14.2.2020

(प्रेम सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर

Scanned by CamScanner